प्रवेश निर्देशिका

क्रमांक

305

स्थापना वर्ष–2018

राजकीय महाविद्यालय, पाबौ

(पौड़ी गढ़वाल)

प्रवेश निर्देशिका शुल्क 40.00 रूपये

राजकीय महाविद्यालय पावौ एक परिचय

पश्चिमी नयार की सुरम्य घाटी और खुड्डेश्वर महादेव की पावन भूमि में अवस्थित पावौ का अपना स्वर्णिम इतिहास है। उच्च शिक्षा के उन्नयन के लिए पौड़ी जिले के पावौ क्षेत्र में महाविद्यालय की माँग को पूर्ण करने के लिए माननीय उच्च शिक्षामंत्री डॉ० धनसिंह रावत जी के अथक प्रयासों से उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 348/(1)XXIV(7) 2018-5(6)17 दिनांक 11 जुलाई 2018 को कला तथा वाणिज्य दो संकायों के साथ राजकीय महाविद्यालय पावौ को विधिवत स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश के वाणिज्य संकाय के एसो०प्रो० डॉ० राजेश कुमार उमान द्वारा 23 जुलाई 2018 को प्रभारी प्राचार्य के रूप में पदभार ग्रहण करते ही महाविद्यालय की व्यवस्थाओं के शुभारंभ के साथ ही प्रवेश -प्रक्रिया आंरभ कर दी गई। प्रारंभ में महाविद्यालय में अध्ययन हेतु हिन्दी, अंग्रेजी व राजनीति शास्त्र विषय कला संकाय हेतु तथा वाणिज्य संकाय को ही स्वीकृति मिली। प्राचार्य व स्थानीय नागरिकों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 920/(1)XXIV(7)2018-5(6)17 दिनांक 9 अक्टूबर 2018 द्वारा पुनः कला संकाय में चार नए विषयों अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र एवं इतिहास को स्वीकृत किया गया पुनःशासनादेश संख्या 683/XXIV-C-2/2021-5 (6)17 दिनांक 18 नवम्बर 2021 के द्वारा कला संकाय में स्नातक स्तर पर संस्कृत विषय की स्वीकृति दी गयी। संप्रति यह महाविद्यालय प्रथम चरण में ही न केवल संख्यात्मक रूप से विद्यार्थियों को उचित संख्या जुटाने में कामयाब रहा है साथ ही समस्त छात्र/छात्राओं के बौद्धिक, रचनात्मक एवं सर्वांगीण विकास का भी साक्षी रहा है। महाविद्यालय में ड्रेस कोड भी लागू हैं। वर्तमान में महाविद्यालय को 4G कनेक्टिवटी से जोड़ा गया है तथा ई- लाइब्रेरी की स्थापना कर दी गई है। साथ ही छात्र-छात्राओं के 6 माह का बैसिक कम्प्यूटर सिस्टम सर्टिफिकेट कोर्स की प्रक्रिया गतिमान है। 2020–21 से महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के लिए N.C.C का शुभारम्भ हो गया है। नए सत्र में संपूर्ण नयार घाटी के उच्चशिक्षा के इच्छुक विद्यार्थी यहाँ विद्यार्जन कर समूचे भारत में इस क्षेत्र का नाम रोशन करे। इस हेतु महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक/कर्मचारी सदैव तत्पर है। इस सत्र में महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित होगा, पचास बालिकाओं हेतु छात्रावास का निर्माण प्रारम्भ हो गया है तथा महाविद्यालय भवन के विस्तारीकरण हेतु शासन से वित्तीय स्वीकृति मिल गयी है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सुदूर तक फैली इस नयार घाटी में यह महाविद्यालय ज्ञान एवं शिक्षा की लौ प्रज्जवलित कर समस्त क्षेत्रवासियों की आशाओं को परिपूर्ण करने में सक्षम होगा एवं स्थानीय निवासियों से भी महाविद्यालय यह अपेक्षा करता है कि वह भी समय-समय पर इस महाविद्यालय की प्रगति हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहेंगें। महाविद्यालय द्वारा N.S.S (राष्ट्रीय सेवा योजना) इकाई प्रारंभ करने संबंधी प्रस्ताव वि०वि० को प्रेषित किया गया है।

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक नियम निर्देश

प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी प्रवेश निर्देशिका मे दिए गए नियमों /निर्देशों को भली-भाँति पढ़ लें।

1. प्रवेश हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र महाविद्यालय कार्यालय में अंतिम तिथि से पूर्व क्रय करना होगा
2. अपने हस्तलेख में सही एवं स्पष्ट से भरा हुआ आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक महाविद्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए। अपूर्ण और अस्पष्ट रूप से भरे गए आवदेन पत्र बिना किसी सूचना के रद्द कर दिए जाएँगे।
3. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण-पत्रों सहित साक्षात्कार के समय स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
4. नये प्रवेशार्थी के लिए आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रवेशार्थी द्वारा समस्त संलग्नक स्व-प्रमाणित होने चाहिए।

(क) अर्हता परीक्षा/समस्त परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रतियाँ।

(ख) हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ।

(ग) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०) की मूल प्रति।

(घ) अंतिम विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत चरित्र-प्रमाण पत्र की मूल प्रति
प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक होगी)

(ङ) व्यक्तिगत अभ्यर्थी किसी राजपत्रित आधिकारी द्वारा प्रदत आचरण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र की मूल प्रति संलग्न करेंगे।

(च) पासपोर्ट साइज के नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थानों पर लगाने होंगे।

(छ) खेल प्रमाण-पत्र अथवा कोई भी अन्य प्रासंगिक प्रमाण-पत्र प्रमाणित प्रति।

(ज) आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांक आर्थिक आधार पर पिछड़ा वर्ग) अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जमा करना होगा। विकलांग हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (उत्तराखण्ड) का प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो अर्थात् 1 जुलाई 2020 से पहले का स्वीकार नही होगा, SC/ST/OBC/EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को स्वयं के नाम का उक्त वर्ग का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(झ) आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाएगा।

5. छात्र/छात्रा द्वारा बी.ए./बी.कॉम.प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रत्येक संकाय के प्रवेश के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक संकाय से दूसरे संकाय में आवेदन पत्र स्थानान्तरित करना संभव न होगा।
6. जो प्रवेशार्थी गत वर्ष इस महाविद्यालय का छात्र रहा हो, उसे अगली कक्षा में प्रवेश के लिए प्रार्थनापत्र के साथ केवल विगत परीक्षा के अंकपत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि एवं नवीनतम फोटो की तीन प्रतियाँ संलग्न करनी होगी।

7. प्रवेश समिति सभी पूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार करेगी एवं उपलब्ध संसाधनों, सीटों की संख्या एवं निर्धारित योग्यता के अन्तर्गत प्रवेश देगी। साक्षात्कार एवं प्रवेश की सूचना नोटिस बोर्ड (सूचना पट्ट) पर चस्पा कर दी जायेगी
8. जिन छात्र/छात्राओं की गतिविधियां महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अवांछनीय समझी जायेगी, उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जा
9. प्रवेश के लिए निर्धारित सीटों का 90% उत्तराखण्ड के मूल निवासियों के लिए तथा शेष 10% अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है, बशर्ते कि वे अर्हता सूची में आते हों।
10. किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र स्वीकृत करने एवं सकारण निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।
11. किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक तथ्यों को छिपाने अथवा गलत जानकारी देने का दोषी पाये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।
12. संस्थागत छात्र/छात्रा उपाधि-हेतु एक सत्र में किसी भी अन्य शिक्षण संस्था में प्रवेश नहीं ले सकेगा और न ही अन्य उपाधि हेतु किसी परीक्षा में शामिल होगा।
13. मुख्य परीक्षा/सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय में अलग-अलग 75% उपस्थिति होनी अनिवार्य है।
14. उपर्युक्त प्रवेश नियमोंके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड, विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल द्वारा संशोधित अथवा नवीनतम् नियमों एवं आदेशों को प्रभावी माना जाएगा।
15. परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क, पर्यावरण शुल्क तथा उपाधि शुल्क विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित होने पर परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय ऑनलाइन जमा करना होगा।

प्रवेश नियम 2023–2024

(i) बी.ए.बी.कॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से इन्टरमीडिएट परीक्षा में 40% अंक आवश्यक होंगे।

(ii) 39.99 को 40% नही माना जाएगा।

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रवेश-अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट होगी। अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तराखण्ड हेतु प्रमाण-पत्र (नॉन क्रीमी धारकों के लिए) तीन वर्ष से अधिक पुराना अर्थात् जुलाई 2020 से पूर्व का मान्य न होगा।

(iv) अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अधिकतम दो वर्ष का गैप अनुमन्य है। अर्थात् 2020 से पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नहीं। गैप वर्ष के साक्ष्य के रूप में सक्षम न्यायालय के नोटरी द्वारा अभि-प्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(v) अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ा.अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखण्ड शासन के नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा। (ऐसे अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत स्वयं के नाम प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

स्नातक प्रथम वर्ष के लिए विषय-चयन सम्बन्धी निर्देश-

बी०ए०/बी०कॉम० प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को देय होगा जिन्होंने इण्टर परीक्षा 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है।

कला संकाय-बी.ए.प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी निम्नलिखित विषय में से किन्हीं तीन विषयों का चयन कर सकता है-

1. हिन्दी 2. अंग्रेजी 3. राजनीति विज्ञान 4. अर्थशास्त्र
5. इतिहास 6. समाजशास्त्र 7. शिक्षाशास्त्र। 8. संस्कृत

अनिवार्य विषय- पर्यावरण विज्ञान

प्रत्येक विषय में स्वीकृत सीट 60 हैं। कुल उपलब्ध सीटें - 160

वाणिज्य संकाय

बी०कॉम० में सभी विषय/प्रश्न पत्र अनिवार्य है। स्वीकृत सीट 60 हैं।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए योग्यता क्रम निर्धारण

1. सूचकांक निर्धाण हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अतिरिक्त अंक देय होंगे-

(अ) शासन/मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर-

(i) राष्ट्रीय स्तर - 07 अंक
(ii) राज्य/जोनल स्तर - 05 अंक
(iii) जिला स्तर जिला स्तर - 03 अंक

(ब) स्काउट गाइड राष्ट्रपति प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी - 02 अंक

स्काउट में जी - 1 धारक को - 01 अंक
स्काउट में जी - 2 धारक को - 02 अंक

(स) ध्रुव पद/गुरू पद - 02 अंक

(द) NCC/NSS' बी'/सी'प्रमाण पत्र अभ्यर्थी - 03 / 05 अंक

प्रतिबन्ध यह होगा कि अ, ब, स तथा द के लिए अधिकतम 07 अंक देय होंगे।

2.स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों/भूतपूर्व/कार्यरत सैनिकों एवं केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अधीन अर्द्धसैनिक बलों के आश्रितों (पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री) की 03 अंकों का लाभ सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मिलेगी।

शुल्क विवरण -प्रवेशार्थियों का पूरे वर्ष का शुल्क प्रवेश के समय देना होगा एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क 10.00 रुपये होंगे-(निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करने पर ही प्रवेश मान्य होगा).

(अ) शासकीय शुल्क

1. प्रवेश शुल्क	-	03.00	
2. महंगाई शुल्क	-	240.00	
3. प्रवेश शुल्क	-	20.00	
4. पुस्तकालय शुल्क	-	3.00	
5. पंखा शुल्क	-	5.00	
6. प्रयोगशाला शुल्क	-	240.00	(केवल प्रायोगिक विषय हेतु)

(ब) विद्यालय शुल्क

1. परिचय पत्र शुल्क	-	25.00	
2. क्रीड़ा शुल्क	-	200.00	
3. वाचनालय शुल्क	-	30.00	
4. पत्रिका शुल्क	-	50.00	
5. विभागीय परिषद	-	50.00	
6. निर्धन छात्र सहायता कोष	-	10.00	
7. मरम्मत विद्युत व्यय	-	60.00	
8. कम्प्यूटर रख-रखाव	-	70.00	
9. प्रागंण विकास	-	20.00	
10. महादिवस/जयन्ती	-	20.00	
11. पी०टी०ए०	-	30.00	
12. विविध विकास	-	100.00	
13. वार्षिक समारोह/सांस्कृतिक	-	50.00	
14. कैरियर काउंसलिग	-	30.00	
15. प्रसाधन शुल्क	-	50.00	
16. सौन्दर्यीकरण	-	50.00	
17. छात्र संघ/परिषद	-	50.00	
18. प्रयोगशाला	-	60.00	(केवल प्रायोगिक विषय हेतु)

सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत 75% उपस्थिति की अनिवार्यता

1. परीक्षार्थियों के लिए लिखित एवं प्रायोगित प्रशिक्षण दोनों में 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
2. विशेष परिस्थितियों में उपस्थिति के न्यूनतम में छूट देने का अधिकार प्राचार्य को होगा किन्तु किसी भी स्थिति में छूट 10% से अधिक नही होगी।
3. विशेष परिस्थितियों (अस्वस्थता, शिक्षणेतर कार्यकलापों में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व) के अन्तर्गत छूट प्राप्ति के लिए आवेदन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के प्रकरण के गुण-दोष पर विचार करने के उपरान्त उपरान्त प्राचार्य द्वारा निर्णय दिया जाएगा।उनका यह निर्णय अन्तिम होगा।

सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत परीक्षा का स्वरूप

विद्यार्थी के परीक्षा कार्य का मूल्यांकन सतत एवं सघन मूल्यांकन के तहत आंतरिक सेशनल परीक्षा एवं सत्रांत परीक्षा द्वारा किया जाता है, आन्तरिक परीक्षा 20 अंक व सत्रांत परीक्षा 80 अंकों की होगी, उत्तीर्ण होने हेतु आंतरिक परीक्षा एवं सत्रांत परीक्षा का योग 40% होगा। (वि०वि०द्वारा निर्धारित)

सांस्कृतिक परिषद-

महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं में छुपी साहित्यिक/सांस्कृतिक एवं अन्य ललित कलाओं सम्बन्धी प्रतिभा को अभिव्यक्ति देने एवं महाविद्यालय तथा अन्य उच्च स्तरों पर सम्पन्न होने वाले सांस्कृतिक आयोजनों में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक परिषद् का गठन किया जाएगा।

विभागीय परिषदें-

प्रत्येक विभाग में एक विभागीय परिषद् होती है और उस विभाग के समस्त छात्र/छात्राएँ परिषद् के सदस्य होते हैं। विभागीय परिषद् के तत्वाधान में निबन्ध एवं वाद/विवाद प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य उपयोगी क्रिया-कलाप संचालित किए जाते हैं।

महाविद्यालय पत्रिका-

पत्रिका का उद्देश्य छात्रों से लेखन कला का विकास करना है, छात्रों को चाहिए कि आमंत्रित किए जाने पर वे अपनी रचनाएँ पत्रिका-संपादक को सौंप दें साथ ही संपादकों से रचना, लेख आदि के लिए उचित परामर्श एवं मार्गदर्शन भी प्राप्त करें। इस कार्य में सक्रिय भाग लेने वाले छात्रों को छात्र-संपादक भी चुना जाता है।

पुस्तकालय-

महाविद्यालय में 1620 के लगभग पुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों से सुसज्जित पुस्तकालय के साथ ई -ग्रन्थालय की भी व्यवस्था है। सम्बन्धित विषय में पुस्तकों की उपलब्धता तथा छात्र-संख्या के आधार पर छात्र/छात्राओं को 2 से 3 पुस्तकें निर्गत की जाती है। विद्यार्थी को निर्गत पुस्तकें परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व लौटानी होंगी। विद्यार्थियों को केवल उनके विषयों एवं कक्षा से सम्बन्धित पुस्तकें ही निर्गत की जाती है। पुस्तकें वापस न करने पर महाविद्यालय कानूनी कार्यवाही के लिए विवश होगा।

वाचनालय-

छात्रों के लिए दैनिक पत्र एवं पत्रिकाएँ पढ़ने व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लिए वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। वाचनालय में मुख्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तक पत्रिकाएँ व अन्याय पाठ्य-सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।

अनुशासन सम्बन्धी नियम-

शास्ता मंडल महाविद्यालय में अनुशासन एवं स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। शास्ता मंडल का संयोजन मुख्य शास्त (Cheif proctor) होता है। जिन्हें सहयोग करने हेतु प्रत्येक संकाय में एक-एक सहायक शास्ता होते हैं। महाविद्यालय में समस्त प्राध्यापक पदेन शास्ता मंडल के सदस्य होते हैं। शास्ता मंडल द्वारा समय-समय पर बनाए गए नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र-छात्राओं के लिए अनिवार्य है। अनुचित आचरण / नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मंडल सम्बन्धित विद्यार्थी को दंडित का सकता है।

क्रीड़ा संबंधी गतिविधियाँ :-

छात्र/छात्राओं की शारीरिक/मानसिक क्षमताओं में वृद्धि हेतु महाविद्यालय द्वारा वार्षिक क्रीड़ा समारोह के लिए अतिरिक्त समय पर अनेक क्रीड़ा संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाती है।

N.C.C.(नेशनल कैडेट कोर):

वर्ष 2020–21 से महाविद्यालय में N.C.C. का प्रारम्भ होना, इस महाविद्यालय की विशिष्ट उपलब्धि है। N.C.C. में प्रतिभागी छात्र/छात्राओं को 'ए''बी'एव'सी' सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।

नमामि गंगे कार्यक्रमः-भारत सरकार के जलशक्ति एवं संस्कृति विभाग द्वारा प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम अभियान के अन्तर्गत स्वच्छता एवं जनजागरूकता से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों का सत्र 2021–22 में सफलता पूर्वक सम्पादन किया गया।

नोट- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्र-छात्राओं के लिए आरक्षण, उत्तराखण्ड शासन का शासनादेश/निर्देश होने तथा विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त सीटों की वृद्धि से सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त औपचारितायें पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

मुख्य अपराधः

1. महाविद्यालय में किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर व्यक्त करना।
2. कक्षाओं में शिक्षण-कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना।
3. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
4. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शांति-व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुँचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
5. रैगिंग करना या उसके लिए प्ररित करना।
6. परिसर में किसी राजनीतिक या सांप्रदायिक विचारधारा प्रचार-प्रचार या प्रदर्शन करना।
7. शास्ता मंडल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना अथवा मानने से इन्कार करना।

निषेधः

1. महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना वर्जित है
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों आदि पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन लगाना।
3. महाविद्यालय के फर्नीचर/फिटिंग (विद्युत व्यवस्था) को क्षति पहुँचाना।
4. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फलवारी अथवा संपति को क्षति पहुँचाना।
5. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई, झगड़ा एवं मारपीट करना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना अथवा उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
6. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मंडल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय-पत्र मांगने पर इन्कार करना।
7. जो भी विद्यार्थी उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको निलम्बिल, अर्थदंड एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियम-

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा के पास परिचय पत्र का होना आवश्यक है जिसे वे प्रतिदिन महाविद्यालय में अपने

साथ लेकर आऐंगें, अगर जाँच के दौरान परिचय पत्र नहीं पाया गया तो उसको महाविद्यालय में प्रवेश वर्जित होगा। परिचय पत्र के खोने की दशा में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा डुप्लीकेट परिचय-पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।

2. जिन छात्रों की गतिविधियाँ शास्ता मंडल/महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता हैं/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जाएगा, ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वत: निष्कासित हो जाएगा।
4. महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस/परिधान में ही आएँ।

<u>रैगिंग एक कानूनन अपराध-</u>

माननीय उच्चतम न्यायालय ने शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग को संज्ञेय अपराध माना है और इसे रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं को निर्देश जारी किए हैं कि प्रत्येक शिक्षण संस्था एक रैगिंग विरोधी समिति गठित करे जो कि रैगिंग जैसे अमानवीय, एवं आपराधिक कृत्य करने पर अपराधी को दंडित करना सुनिशिचत करें

रैगिंग जैसे जघन्य अपराध को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से वि० वि० अनुदान आयोग ने कुछ सख्त नियम तैयार किए है। इसके तहत रैगिंग के लिए दोषी पाए गए विद्यार्थियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही और ढाई लाख रू० तक के जुर्माना का प्रावधान है।

संस्थान की रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दोषी पाए जाने पर अपराध की गंभीरता के अनुसार विद्यार्थी के विरूद्ध निम्न कार्यवाही की जा सकती हैं:

1. संस्थान से निलम्बन एवं निष्कासन
2. प्रवेश निरस्त किया जाना
3. शैक्षिक सुविधाओं का वापस किया जाना
4. किसी समय विशेष के लिए किसी अन्य संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाना
5. न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना आदि

रैगिंग का तात्पर्य है कि लिखकर, बोलकर, हाव-भाव दिखाकर अथवा शारीरिक क्रिया से किसी छात्र-छात्रा को कष्ट पहुँचाना, भौतिक रू प से प्रताड़ित करना, नवागन्तुक एवं अपने से कनिष्ठ छात्र-छात्राओं को डराना, धमकाना, हतोत्साहित करना, उनके क्रियाकलापों में अवरोध पैदा करना, परेशान करना, मानसिक क्लेश पहुँचाना, उन्हें ऐसे कृत्य करने को बाध्य करना जिन्हें वे सामान्य दशा में नहीं करते हैं। अथवा जिन्हें करके वे दु:खी होते है और ऐसा करके उनके भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता हो तथा रैगिंग जैसे दुष्कृत्य को प्रेरित करना उक्त सभी कृत्य रैगिंग के अन्तर्गत माने गये हैं।

महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची

प्राचार्य- प्रो० (डॉ) सत्य प्रकाश शर्मा

कला संकाय

1. हिन्दी विभाग- डॉ० सरिता (गेस्ट फैकल्टी)
2. अंग्रेजी- रजनी बाला (असिस्टेंट प्रोफेसर)
3. राजनीति शास्त्र- सुनीता चौहान (असिस्टेंट प्रोफेसर)
4. अर्थशास्त्र- श्री मुकेश कुमार शाह (असिस्टेंट प्रोफेसर)
5. इतिहास- श्री अनिल कुमार शाह (असिस्टेंट प्रोफेसर)
6. समाज शास्त्र- डॉ तनुजा रावत (असिस्टेंट प्रोफेसर)
7. शिक्षा शास्त्र- श्री सौरभ सिंह (असिस्टेंट प्रोफेसर)
8. संस्कृत- डॉ० कैलाशचंद्र भट्ट (गेस्ट फैकल्टी)

वाणिज्य संकाय

वाणिज्य -
1. डॉ गणेशचंद्र (असिस्टेंट प्रोफेसर)
2. डॉ जय प्रकाश पंवार (गेस्ट फैकल्टी)

कार्यालय कर्मचारी

कनिष्ठ सहायक - श्री महेश सिंह

अनुसेवक - श्री विजयेन्द्र सिंह

अनुसेवक - श्रीमती सोनी देवी

स्वच्छक/चौकीदार - कु० अनुराधा